भारत गणराज्य को सरकार तथा अर्जन्तीना गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

मारत गणराज्य की सरकार और अर्जन्तीना गणराज्य की सरकार,

अपने-अपने लोगों के बीच विव्यमान मित्रता के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की इच्छा से प्रेरित होकर, और

दोनों देशों के बोच सांस्कृतिक विनिमयों को विकसित करने के दृष्टिकोण से,

विव्यमान सांस्कृतिक करार पर हस्तातर करने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंनि,

> भारत सरकार के प्रीतिनिधि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

अर्जन्तीना गणराज्य को सरकार के प्रतिनिधि

परमश्रेष्ठ श्री सलबर्ट जान विन्स

विदेश कार्य सबै उपासना मंत्री

को अपना-अपना पूर्णिधिकारी नामोद्दिक किया है और निस्निलिखित

रूप से सहमत हो गर है:-

जनुकेद - ।

संनिदाकारी पशकार, शिक्षा, कला, साहित्य, संचार के जन साधनी, पत्रकारिता, खेलकूद जैसे क्षेत्री में सांस्कृतिक सहकारिता को सुकर बनारीं तथा प्रोत्साहित करेंगे।

अनुचेवद - 2

संविदाकारी पक्षकार निम्निलिखित की प्रोत्साहित करेंगे और सुकर बनारंगे :

(क) लेक्चर देने, अध्ययन प्रमण तथा विशेष पाठ्यक्रम

संचालित करने के लिए बुद्धिजीवियों, लेखकीं, कलाकारों और प्रोफेसरों को एक दूसरे के यहां मेजना ;

- (ख) शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यक, पत्रकारिता और बेलकूद संघी तथा सँगठनी के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के यहाँ भेजना और समाओं, सब्मेलनी, सँगोष्ठियों तथा सेमिनारी में भाग लेना;
- (ग) शिक्षा, संस्कृति और खेलकूद के क्षेत्रों में सामग्री का विनिमय, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी प्रकाशनों का अनुवाद तथा विनिमय और कला के नमूनों का यधासम्भव विनिमय; और
- (घ) पुरातत्वज्ञों को पारस्परिक सुविधार प्रवान करना जिससे कि वे खुदाई कार्य और साय-साय पुरातत्व-खोजों के परिरक्षण और प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकें, प्रशिक्षण सुविधार और नयूनों अथवा वस्तुओं का भी विनिमय ।

अनुच्छेद - 3

प्रत्येक सीवदाकारी पक्षकार, दूसरे देश के राष्ट्रिकों की विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए सुविधाओं, छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

सनुचेद - 4

दोनों संविदाकारी पक्षकार निस्निलिखित विषयों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देते हुए एक दूसरे देश की कला और सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच सहकारिता का संवर्धन करेंगे :-

- (क) कला और शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ;
- (ख) वृत्तिचित्रों, सांस्कृतिक और शैक्षिक फिल्मों, रेडियो और
 टेलीविजन कार्यक्रम रिकार्डिंग;
- (ग) कलाकारी, संगीत और नृत्य के प्रोफेसरी तथा संगीत मण्डितयी;

(घ) चलचित्र विद्या के क्षेत्र में विशेषकों और एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोही में माग लेना ।

अनुकेद - 5

संविदाकारी पक्षकार, प्रसारण, बलचित्र विद्या और प्रेस के क्षेत्रों में अपनो-अपनी सम्बन्धित संस्थाओं के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद - 6

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अर्जन्तीना और भारतीय खिलाड्यिं के बीच खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा समारोडों का आयोजन करने की प्रोत्साहित करेंगे।

अनुकेद - 7

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, यथाशिकत यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा कि शिक्षा संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, विशेषतः इतिहास और भूगोल की पुस्तकों में दूसरे देश के बारे में मिथ्यावर्षन न हो ।

बनुकेद - 8

दोनों संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार द्वारा प्रदान किस् गर डिप्लोमा, प्रमाणपत्री तथा विश्वविद्यालय को डिप्रियों को जाँच करेंग ताकि उनको समकक्षता तथ की जा सके।

अनुचेद - 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, अन्य संविदाकारी पक्षकार के इतिहास, सम्पता, संस्कृति तथा गांचा के अध्ययन का प्रवर्धन करेगा ।

अनुकेद - 10

प्रत्येक सीवदाकारी पक्षकार, अपने-अपने क्षेत्र में अन्य सीवदाकारी पक्षकार अथवा दोनों सीवदाकारी पक्षकारी द्वारा संयुक्त रूप से शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थानी अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना का, इस संबंध में अपने-अपने कानूनी, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार स्वागत करेगा।

यह मान लिया जाता है कि इस करार के अनुसरण में किसी संस्था की स्थापना से पहले, संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

भनुचेख - ।।

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाये, एक संयुक्त समिति स्थापित की जायेगी, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंग, जिसकी बैठक यथावश्यकतानुसार और किसी भी सीवदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर, बारी बारी से मारत तथा अर्जन्तीना में होगी।

संयुक्त समिति, करार के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करने, इस करार की परिधि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में किसी भी ऐसी मद को, जिसमें कोई भी पक्षकार वितवद्ध हो, तैयार करने और संबंधित सरकार को सिफारिश करने व सलाह देने तथा उस रोति के सम्बन्ध में भी सलाह देने के लिए, जिससे करार के कार्यकरण को सुधारा जा सके, जिम्मेदार होगी।

अनुकेद - 12

वर्तमान करार सैविदाकारी पक्षकारों के जनुसमर्थन पर निर्भर होगा । यह जनुसमर्थन-लिखितों के विनिमय, जो नई दिल्ली शहर मैं किया जायेगा, उसके 30 दिन बाद से लागू होगा । वर्तमान करार, जिस तारोख से संविदाकारी पक्षकारों में से कोई मी, करार को जवसित करने के लिए अपने आशाय की लिखात रूप से सूचना दे, उस तारीख से छः महीनों के अवसान तक प्रवर्तन में रहेगा ।

जिसके साझ्य में, संविदाकारी पत्तकारों के पूर्णिधकारियों ने,
अर्जन्तीना गणराज्य को राजधानी बुआनोस आइरेस शहर में शक्
सम्बत्, के दिन तदनुसार वर्ष के
के दिन वर्तमान करार की तीन मूल प्रतियों-डिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी गाणाओं की स्क-रक प्रति पर हस्ताक्षर किये तथा मोहरें लगाई। व्याख्या में सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अधिमावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की और से

सुर-६ ५ । लास्पर्ड

(सुरेन्द्र पाल सिंह) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जन्तीना गणराज्य की सरकार की और से

(रलवर्ट जान विन्स)

विदेश कार्य तथा उपासना मंत्री

arlung

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC

The Government of the Republic of India and the Government of the Argentine Republic, inspired by their desire to strengthen the existing ties of friendship between their peoples, and with a view to develop cultural exchanges between the two countries, have decided to sign the present Cultural Agreement, and for that purpose have designated their respective Plenipotentiaries:

The Government of the Republic of India, represented by Shri Surendra Pal Singh, Minister of State in the Ministry of External Affairs,

The Government of the Argentine Republic, represented by Alberto Juan Vignes, Minister of Foreign Affairs and Worship,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cultural cooperation in fields such as education, art, literature, mass media of communication, journalism, sports and games.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and

facilitate:

- a) reciprocal visits of intellectuals, writers, artistes and professors for delivering lectures, study tours and conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of educational, artistic, literary, journalists' and sports associations and organisations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- c) exchange of materials in the fields of education, culture and sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, cultural and sports publications, and, as far as possible, exchange of art specimens; and
- d) reciprocal facilities to archaeologists to enable them to gain experience of excavations as well as preservation and display of archaeological finds, training facilities and also exchange of specimens or casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities, scholarships and fellowships to nationals of the other country for pursuing different disciplines.

ARTICLE 4

Both Contracting Parties shall promote cooperation between the art and cultural institutions of each other's country by encouraging the exchange of:

a) art and pedagogical exhibitions;

documentaries, cultural and educational films, b) radio and television programme recordings; artistes, professors of music and dance and music ensembles: experts in the field of cinematography and d) participation in each other's international film festivals. ARTICLE 5 The Contracting Parties shall endeavour to encourage cooperation between their respective institutions in the areas of broadcasting, cinematography and press. ARTICLE 6 Each Contracting Party shall encourage the organisation of sports events and gatherings between Indian and Argentine sports people and their participation in international games and competitions in its territory. ARTICLE 7 Each Contracting Party shall, so far as it lies within its powers, ensure that text books prescribed for its educational institutions, particularly those in the fields of history and geography, do not contain any error or misrepresentation about the other country. ARTICLE 8 Both Contracting Parties shall examine the diplomas,

-: 3 :-

certificates and university degrees granted by the other Party with a view to arriving at their equivalence.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall promote study of history, civilisation, culture and language of the other Contracting Party.

ARTICLE 10

ment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or by the two Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard.

It is understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established in pursuance of this Agreement.

ARTICLE 11

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established, when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of both the Governments, which shall meet as and when the need arises and at the request of either Contracting Party, alternately in India and Argentina.

The Joint Committee shall be responsible for keeping under periodical review the working of the present Agreement, advising the Governments concerned in formulating and recommending any items of interest to either Contracting Party in the fields within the scope of the present Agreement, as well as advising in regard to the manner in which the working of the present Agreement may be improved upon.

ARTICLE 12

The present Agreement shall be subject to ratification by the Contracting Parties. It shall come into force thirty days after the exchange of the Instruments of Ratification, which shall take place in the city of New Delhi. The present Agreement shall remain in force until the expiration of six months from the date on which either Contracting Party gives to the other a notice in writing of its intention to terminate it.

In witness whereof, the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have signed and sealed the present Agreement in the city of Buenos Aires, Capital of the Argentine Republic, on this 28 th. day of May of the year 1974 (corresponding to the 7 th. day of Jyaistha, the Saka year 1896) in two originals, each in the Hindi, Spanish and English

languages. In case of doubt as regards its interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF

Venanda Par Wugh.

THE REPUBLIC OF INDIA THE ARGENTINE REPUBLIC

SURENDRA PAL SINGH

Minister of State in the Minister of Foreign Affairs Ministry of External Affairs and Worship

ALBERTO JUAN VIGNES